

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

गोपाल लाल (पत्नी) बनाम रा.म.प.उ. शा.डी

धारा 53, 88, 188 किस्म 915

प्र०सं० 1/2017

4-1-17

बाद जाँच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई. जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 6-2-17 को पेश हों।

04/01/17

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

6-2-17

पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पितामहीन अधिकार जी अपवर्ग पर है। पत्रावली

दिनांक 5-6-17 को पेश हो।

अपवर्ग रा.म.प.उ. शा.डी के अर्थात् शा.डी के अर्थात्

पत्रावली पेश करने से रीडर

28-6-17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट.... में पेश हुई। पक्षकारान उप./अनु. पक्षकारान में राजीनामा नहीं होने से पत्रावली निस्तारित नहीं की जा सकती है। संबंधित न्यायालय को वापस लौटाई जाती है। पत्रावली

दिनांक 16-10-17 को पेश हो। 18-06

प्रतिकारी पक्ष 1
रामचंद्र

16-10-17

~~पत्रावली पेश हुआ नहीं/प्रतिवादी
आवेदक को उपास्थित जवाब पेश नहीं किया
मान्यतः इससे दिवा जाकर प्रकरण
दिनांक 20-11-2017 को पेश हो।~~

20-11-2017

पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पितामहीन अधिकार जी लाल कालीपट्टे। पत्रावली दिनांक 20-11-17 को पेश हो।

आदेश से रीडर

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सदर जज
उच्च न्यायालय
मुंबई

30.4.25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण विपक्षीयता के जवाब हेतु दिनांक 12.05.25
को पेश हो।

12.5.25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण विपक्षीयता के जवाब हेतु दिनांक 30/6/25
को पेश हो।

30/6/25 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक... 18/8/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

18/8/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण विपक्षीयता के जवाब हेतु दिनांक 26/8/25
को पेश हो।

26.08.25 पत्रावली पेश हुई। बाही व बाही अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बाही व बाही अधिवक्ता दो तीनों बार आवाज लगायी गयी। परन्तु उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण बाही की अदम हाजती व बाही अधिवक्ता की अदम फेंद्री में खरिज दिया जाता है। प्रकरण फेंद्री सुभार हेतु नम्बर से रुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीतवाड़ा